

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / III /2021

दिनांक 14.01.2021

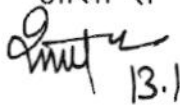
इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1710 /2020 दिनांक 18.09.2020 को निरस्त करते हुए श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

01. दिनांक 29.06.2020 से 16.07.2020 तक 18 दिवस का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.06.2020 से 28.06.2020 तक के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

02. दिनांक 17.07.2020 से 24.07.2020 तक 08 दिवस का क्वारेन्टाइन अवकाश(Quarantine Leave) दिनांक 25.07.2020 से 26.07.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री गोयल की अनुपस्थिति में अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से  
  
13.1.2021

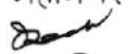
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/33/2002/349

दिनांक : 14.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 8680 दिनांक 15.12.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
5. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ।

  
सहायक रजिस्ट्रार